



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 6 मई, 2021

वैशाख 16, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-1

संख्या 409/छत्तीस-1-2021-9(जी)-2020

लखनऊ, 6 मई, 2021

अधिसूचना

आदेश

प0आ0-120

चूँकि काँच एवं चूड़ी उद्योग की चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में संलग्न कर्मकारों की माँग पर मात्रानुपाती दर मजदूरी का पुनरीक्षण करने और अनुवर्ती अशान्ति का समाधान करने के लिए शासनादेश संख्या यू0ओ0-67/36-2-20-9(जी)-2020, दिनांक 14 सितम्बर, 2020 द्वारा उप श्रमायुक्त, आगरा की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया था;

और, चूँकि, राज्य सरकार को ऐसी त्रिपक्षीय समिति की संस्तुति प्राप्त हो गयी है;

और, चूँकि, राज्य सरकार की राय में लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, अब, यू0पी0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (यू0पी0 अधिनियम सं० 28 सन् 1947) की धारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नवत् आदेश देती हैं और उक्त अधिनियम की धारा 19 के संदर्भ में निदेश देती हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जायेगी।

1-यह आदेश निम्नलिखित पर लागू होगा :-

(क) जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश के समस्त काँच एवं चूड़ी कारखाने एवं संविदाकार;

(ख) काँच एवं चूड़ी उद्योग की चूड़ी जुड़ाई, सलाई, सधाई, छटाई और चकलाई प्रक्रिया में संलग्न समस्त कर्मकार एवं ठेलेवाले।

2-चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में संलग्न समस्त प्रकार के कर्मकारों को निम्नानुसार मात्रानुपाती दर मजदूरी प्रदान की जायेगी:-

क्रमांक	कार्य का प्रकार	धनराशि (प्रति तोड़ा)
1	एक तोड़ा जुड़ाई रेट	रुपया 13/-
2	एक तोड़ा सधाई रेट	रुपया 08.50/-
3	एक तोड़ा छटाई रेट	रुपया 05/-
4	एक तोड़ा चकलाई रेट	रुपया 02/-
5	एक तोड़ा ठेलेवाला रेट	रुपया 01.50/-

3-चूड़ी जुड़ाई के कार्य हेतु कर्मकारों को एक लीटर प्रति 14 तोड़ा की दर से अथवा आनुकल्पिक रूप से तेल के बाजार मूल्य पर मिट्टी का तेल प्रदान किया जायेगा।

4-चूड़ी जुड़ाई प्रक्रिया में उपरोक्त मात्रानुपाती दर मजदूरी में प्रतिवर्ष 50 रुपये की वार्षिक मजदूरी वृद्धि की जायेगी, जो प्रतिवर्ष एक जुलाई से लागू होगी।

5-यह आदेश गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवर्तित होगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 409/XXXVI-1-2021-9(G)-2020, dated May 6, 2021:

No. 409/XXXVI-1-2021-9(G)-2020

Dated Lucknow, May 6, 2021

WHEREAS on the demand of workers engaged in choodi judai process of Kanch and Choodi Industry for revision of piece rate wages and for resolution of consequent unrest, a tripartite committee under the Chairmanship of Deputy Labour Commissioner, Agra was constituted by Government Order no. UO- 67/XXXVI-2-20-9(G)-2020, dated 14th of September, 2020;

AND, WHEREAS, the recommendation of such tripartite committee has been received to the Government;

AND, WHEREAS, in the opinion of State Government for maintaining public order, it is necessary so to do;

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under clause (b) of section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Disputes Act, 1947 (U. P. Act no. 28 of 1947), the Governor is pleased to make following order and to direct with reference to section 19 of the said Act that notices of this order shall be given by publication in the Official Gazette.

1. This order shall be applied to following:-

(a) All kanch and choodi factories and contractors of district Firozabad, Uttar Pradesh;

(b) All workers engaged in choodi judai, jhalai, sadhai, chhatai, chaklai of choodi judai process of kanch and choodi industry and thelewala.

2. All types of workers engaged in choodi judai process shall be given piece rate wages as follows:-

Sl. no.	Type of work	Amount (per Toda)
1	Rate of One Toda judai	Rs. 13/-
2	Rate of One Toda sadhai	Rs. 08.50/-
3	Rate of One Toda chhatai	Rs. 05/-
4	Rate of One Toda chaklai	Rs. 02/-
5	Rate of One Toda thelewala	Rs 01.50/-

3. For the work of choodi judai, workers shall be given kerosene oil at the rate of one litre per 14 toda or market value of oil alternatively.
4. The annual increment in the above piece rate wages in choodi judai process shall be Rs. 50/- per year which shall be applied every year from 1st of July.
5. This order shall be enforced from the date of publication in the official *Gazette*.

By order,
SURESH CHANDRA,
Apar Mukhya Sachiv.